

संचिका सं०-10/यो०-01-04/2018

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग


शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय आवंटनादेश संख्या-23(10)ब, दिनांक-05.02.2019 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. आवंटनादेश के विषय कॉलम में अंकित "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचारी एवं गैर संचारी रोगों के निवारण हेतु स्वास्थ्य मेलों के आयोजन करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के क्रम में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित केन्द्रांश मद में रुपये 2.88 करोड़ (दो करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 1.92 करोड़ (एक करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति।" के स्थान पर "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचारी एवं गैर संचारी रोगों के निवारण हेतु स्वास्थ्य मेलों के आयोजन करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के क्रम में द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपबंधित केन्द्रांश मद में रुपये 2.88 करोड़ (दो करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 1.92 करोड़ (एक करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 4.80 करोड़ (चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति।" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।



(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।


ज्ञापांक-10/यो०-01-02/2018-25(10)0 /स्वा०, पटना, दिनांक-20/02/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।
